डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
पूर्व भुगतान भोपाल/06-08.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 जनवरी 2007—पौष 27, शक 1928

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2007

क्र. एफ. 13-3-05-सत्रह-मेडि.-2.—मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 47, सन् 1973) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 21 नवम्बर 2006 में पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 6 में, उप-नियम (1) में शब्द "प्रत्येक वर्ष" के स्थान पर, शब्द "प्रत्येक तीन वर्ष" स्थापित किए जाएं;

(2) नियम 11 में, शब्द "तीन दिन" के स्थान पर, शब्द "तीस दिन" स्थापित किए जाएं;

(3) नियम 12 में, शब्द "तीन दिन" के स्थान पर, शब्द "साठ दिन" स्थापित किए जाएं;

(4) नियम 15 में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

"परन्तु यह आवश्यक नहीं होगा कि रोगी का नाम वर्णक्रमानुसार लिखा जाए."

(5) नियम 19 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"19 (1) **सांसर्गिक या संक्रामक/अधिसूचनीय रोगों के संबंध में तत्काल रिपोर्ट.**—उपचर्यागृह या रूजोपचार संबंधी स्थापना की जानकारी में जैसे ही यह बात आती है कि उपचर्यागृह या रूजोपचार स्थापना में बाह्य या आंतरिक रोगी के रूप में भर्ती किया गया कोई व्यक्ति टिटनेस, गैस गैंगरीन, छोटी माता, हैजा, आन्त्रशोध, खसरा, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, पोलियोमिलाइटिस या मस्तिष्क ज्वर से या ऐसे संक्रामक/अधिसूचनीय रोग से ग्रस्त हुआ है या पीड़ित हो गया है तो उपचर्यागृह या रूजोपचार संबंधी स्थापना का कीपर जिले के मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी को और/या यथास्थिति नगर निगम या नगरपालिका परिषद् द्वारा अनुरक्षित चिकित्सालय के, यदि कोई हो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, और पर्यवेक्षी प्राधिकारी को तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा परिसरों को किसी उचित रीति से रोगाणुनाशित किया जाएगा.

(2) **सांसर्गिक या संक्रामक/अधिसूचनीय रोगों की मासिक रिपोर्ट.**—उपचर्यागृह या रूजोपचार संबंधी स्थापना का कीपर जिले के मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी को और/या यथास्थिति नगरनिगम या नगरपालिका परिषद् द्वारा अनुरक्षित चिकित्सालय, यदि कोई हो, के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, और पर्यवेक्षी प्राधिकारी को विहित प्रोफार्मा में संक्रामक/अधिसूचनीय रोगों की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

(3) **राष्ट्रीय कार्यक्रमों की रिपोर्ट.**—उपचर्यागृह या रूजोपचार संबंधी स्थापना का कीपर जिले के मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी को ऐसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जिनमें उनकी सहभागिता वांछित हो—जैसे कि टीकाकरण, परिवार कल्याण आदि; की रिपोर्ट विहित प्रोफार्मा में प्रस्तुत करेगा."

(6) अनुसूची-एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची—एक"

(नियम 7 देखिए)

फीस की अनुसूची

अनुक्रमांक	मद	रजिस्ट्रीकरण फीस (रुपये में)	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और अनुज्ञापन की दूसरी प्रति जारी करने के लिये फीस (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	**उपचर्यागृह तथा प्रसूति गृह के लिये :**		
	(एक) 10 बिस्तरों तक	600.00	
	(दो) 10 बिस्तरों से अधिक किन्तु 20 बिस्तरों तक.	1050.00	
	(तीन) 20 बिस्तरों से अधिक किन्तु 30 बिस्तरों तक.	1350.00	100.00
	(चार) 30 बिस्तरों से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त बिस्तर के लिये.	45.00	
(2)	शारीरिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्थापना के लिये	600.00	
(3)	बाह्य रूजोपचार के लिये	600.00	100.00
(4)	रूजोपचार संबंधी प्रयोगशाला के लिये	600.00	

(7) अनुसूची-दो में,—

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क) स्थिति तथा आसपास का वातावरण.—स्थापित किये जाने वाले उपचर्यागृह किसी खुली मल नाली, नाली या सार्वजनिक शौचालय से अथवा धुआं या दुर्गन्ध छोड़ने वाले किसी कारखाने से लगे हुए नहीं होंगे.";

(दो) खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) में, अंक तथा शब्द "75 वर्गफुट" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "60 वर्गफुट" स्थापित किए जाएं;

(तीन) खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) में, अंक तथा शब्द "180 वर्गफुट" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "160 वर्गफुट" स्थापित किए जाएं;

(चार) खण्ड (च) के उपखण्ड (आठ) में, शीर्षक "प्रत्येक आंतरिक रोगी के लिये" के अधीन शब्द "मच्छरदानी—एक" का लोप किया जाए;

(पांच) खण्ड (च) के उपखण्ड (आठ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(नौ) मच्छरों तथा मक्खियों आदि की रोकथाम के लिये उपचर्यागृह द्वारा समुचित व्यवस्था की जाएगी.";

(छह) खण्ड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(थ) उपचर्यागृह द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न चिकित्सीय सेवाओं की दर सूची (रेट लिस्ट) काउंटर पर अनिवार्य रूप से रखी जाएगी तथा मांग की जाने पर रोगी या उसके परिवार के सदस्य को दिखाई जाएगी. इस प्रकार उपलब्ध दर सूची (रेट लिस्ट) सूचना फलक (नोटिस बोर्ड) पर भी प्रदर्शित की जाएगी. पर्यवेक्षी प्राधिकारी को भी दर सूची (रेट लिस्ट) तथा इसमें किये गये संशोधन, यदि कोई हों, की जानकारी दी जाएगी.".

(8) अनुसूची-तीन में,—

(एक) खण्ड (1) में उपखण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(एक) स्थापित की जाने वाली रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं किसी खुली मल नाली, नाली या सार्वजनिक शौचालय से अथवा धुआं या दुर्गन्ध छोड़ने वाले किसी कारखाने से लगे हुए नहीं होंगे.";

(दो) खण्ड (4) में, उपखण्ड (एक) में, शब्द "अनुमोदित अर्हता" के स्थान पर, शब्द "मान्यता प्राप्त अर्हता" स्थापित किए जाएं;

(तीन) खण्ड (5) में, उपखण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(दो) रूजोपचार संबंधी स्थापना द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न चिकित्सीय सेवाओं की दर सूची (रेट लिस्ट) काउंटर पर अनिवार्य रूप से रखी जाएगी तथा मांग की जाने पर रोगी या उसके परिवार के सदस्य को दिखाई जाएगी. इस प्रकार उपलब्ध दर सूची (रेट लिस्ट) सूचना फलक (नोटिस बोर्ड) पर भी प्रदर्शित की जाएगी. पर्यवेक्षी प्राधिकारी को भी दर सूची (रेट लिस्ट) तथा उसमें किये गये संशोधन, यदि कोई हों, की जानकारी दी जाएगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. ए. खण्डेलवाल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2007

मध्यप्रदेश उपचर्यागृह रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 47 सन् 1973) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिकारियों का, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के प्रयोजन के लिये शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम (2)	अधिकारिता (3)
1	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य
2	स्वास्थ्य आयुक्त	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य
3	संचालक, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य
4	संचालक, चिकित्सा सेवाएं	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य
5	क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं	संबंधित क्षेत्र/परिक्षेत्र
6	समस्त संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय)	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य
7	क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं	संबंधित क्षेत्र/परिक्षेत्र
8	समस्त उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय)	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य
9	मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी	संबंधित जिला
10	सिविल सर्जन-सह-मुख्य अधीक्षक, चिकित्सालय	संबंधित जिला
11	विशेषज्ञ (चिकित्सा) की आधुनिक पद्धति की कोई विधा शाखा-(डिसिप्लिन) (एलोपैथी) जो मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सम्यक्‌रूप से प्राधिकृत हो.	संबंधित जिला

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. ए. खण्डेलवाल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2007

क्र. एफ. 13-3-05-17-मेडि.-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 13-3-05-17-मेडि.-2, दिनांक 17 जनवरी 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. ए. खण्डेलवाल, उपसचिव.

Bhopal, the 17th January 2007

No. F. 13-3-05-XVII-Med.-2.—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Madhya Pradesh Upacharyagriha Tatha Rujopachar Sambandhi Sthapanaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Adhiniyam, 1973 (No. 47 of 1973), the State Government hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Upacharyagriha Tatha Rujopachar Sambandhi Sthapanaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Rules, 1997, the same

have been previously published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 21st November, 2006 as required by sub-section (1) of Section 14 of the said Act, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) In rule 6, in sub-rule (1) for the words "every year", the words "every three years" shall be substituted;

(2) In rule 11, for the words "three days", the words "thirty days" shall be substituted;

(3) In rule 12, for the words "three days", the words "sixty days" shall be substituted;

(4) In rule 15, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that it shall not be necessary to write the patient's name in alphabetical order."

(5) For rule 19, the following rule shall be substituted, namely :—

"19.(1) **Immediate report about contagious or communicable/notifiable diseases.**—The keeper of the nursing home or clinical establishment shall submit a report immediately to the Chief Medical and Health Officer of the district and/or the Chief Medical Officer of the Hospital, if any, maintained by the Municipal Corporation or Municipal Council as the case may be, and the supervising authority as soon as it comes to his notice that any person, who has been admitted or examined as an indoor or outdoor patient in the nursing home or the clinical establishment, is suffering from or has been attacked with Tetanus, Gas Gangrene, Chickenpox, Cholera, Gastro-enteritis, Measles, Infective Hepatitis, Poliomyelitis or Meningitis or such communicable/notifiable diseases and the premises shall be disinfected in a proper manner;

(2) **Monthly report of contagious or communicable/notifiable diseases.**—The keeper of the nursing home or clinical establishment shall submit monthly report of communicable/notifible diseases on the prescribed proforma to the Chief Medical and Health Officer of the district and/or the Chief Medical Officer of the Hospital, if any, maintained by the Municipal Corporation or Municipal Council, as the case may be, and the supervising authority;

(3) **Report of National Programmes.**—The keeper of the nursing home or clinical establishment shall submit on the prescribed proforma, the reports of such National Health Programme in which their participation is desired such as Vaccination, Family Welfare etc.; to the Chief Medical and Health Officer of the District concerned.";

(6) for Schedule-I the following schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-I"
(*See* Rule-7)

Schedule of Fees

S. No.	Item	Registration fee (in Rupees)	Fee for issue of a duplicate certificate of registration & licence (in Rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	**For Nursing home and Maternity Home—**		
	(i) upto 10 beds	600.00	
	(ii) above 10 beds but upto 20 beds	1050.00	100.00
	(iii) above 20 beds but upto 30 beds	1350.00	
	(iv) for each additional bed above 30 beds	45.00	

(1)	(2)	(3)	(4)
(2)	For Physio-Therapy establishment	600.00	
(3)	For out-Door Clinics	600.00	100.00
(4)	For Clinical laboratory	600.00	

(7) In Schedule-II,—

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) **Location and Surroundings.**—The nursing homes to be established shall not be adjacent to an open sewer, drain or public lavatory or to a factory emitting smoke or abnoxious odour.";

(ii) in sub-clause (i) of clause (c), for the figures and words "75 Square feet", the figures and words, "60 Square feet" shall be substituted;

(iii) in sub-clause (ii) of clause (c), for the figures and words "180 Square feet", the figures and words, "160 Square feet" shall be substituted;

(iv) in sub-clause (viii) of clause (f), under the heading "For each in-patient" the words "Mosquito-net one" shall be ommited;

(v) after sub-clause (viii) of clause (f), following clause shall be added, namely :—

(ix) "Proper arrangements for prevention of mosquitoes and fly etc. shall be provided by nursing homes."

(vi) for clause (s), the following clause shall be substituted, namely :—

"(s) Rate list of various medical services being provided by the nursing home shall be kept compulsorily on the counter and on demand it shall be shown to the patient or his/her family member. The rate list so available shall be displayed on the notice board also. The supervising authority shall also be kept informed of the rate list and of the amendments, if, any, made therein.".

(8) In Schedule-III,—

(i) in clause (1), for sub-clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

"(i) The clinical establishments to be established shall not be adjacent to an open sewer, drain or public lavatory or to a factory emitting smoke or abnoxious odour.";

(ii) In clause (4), in sub-clause (i), for the words "approved qualification" the words, "recognised qualification" shall be substituted;

(iii) in clause (5), for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(ii) Rate list of various medical services being provided by the clinical establishment shall be kept compulsorily on the counter and on demand shall be shown to the patient or his/her family members. The rate list so available shall be displayed on the notice board also. The supervising authority shall also be kept informed of the rate list and of the amendments, if any, made therein.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. A. KHANDELWAL, Dy. Secy.

Bhopal, the 17th January 2007

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Madhya Pradesh Upcharyagriha Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapanaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Adhiniyam, 1973 (No. 47 of 1973), the State Government, hereby, authorises the following officers as specified in column (2) to exercise powers within their respective jurisdiction as specified in column (3) of the Table below for the purpose of said Act and the rules made thereunder :—

TABLE

S.No. (1)	Designation of Authorised Officer (2)	Jurisdiction (3)
1	Principal Secretary/Secretary, Health	Whole of State of Madhya Pradesh
2	Health Commissioner	Whole of State of Madhya Pradesh
3	Director, Public Health & Family Welfare	Whole of State of Madhya Pradesh
4	Director, Medical Services	Whole of State of Madhya Pradesh
5	Regional Director of Health Services	Respective Region/Zone
6	All Joint Directors, Health Services (Head Quarter)	Whole of State of Madhya Pradesh
7	Regional Joint Director, Health Services	Respective Region/Zone
8	All Deputy Directors, Health Services (Head Quarter)	Whole of State of Madhya Pradesh
9	Chief Medical & Health Officer	Respective District
10	Civil Surgeon-cum-Chief Hospital Superintendent	Respective District
11	Specialist (Any Discipline of Modern System of Medicine-Allopathy) duly authorised by the Chief Medical & Health Officer.	Respective District

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. A. KHANDELWAL, Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म.प्र. पूर्व भुगतान भोपाल-06-08.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म.प्र.-108 भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अप्रैल 2007—चैत्र 16, शक 1929

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2007

क्र. ई. 5-642-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विवेक अग्रवाल, आयएएस, कलेक्टर, इन्दौर को दिनांक 3 से 16 मार्च 2007 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17, 18, 19 एवं 20 मार्च 2007 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, इन्दौर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 1-84-2007-5-एक.—(1) श्रीमती राजकुमारी खन्ना, भाप्रसे (1996), अपर आयुक्त (राजस्व), उज्जैन संभाग, उज्जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है.

(2) श्री डी. के. तिवारी, भाप्रसे (1994), अपर आयुक्त (राजस्व), इन्दौर संभाग, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, अपर आयुक्त (राजस्व), उज्जैन संभाग, उज्जैन का प्रभार भी अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश साहनी, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

राज्य शासन के आदेश

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2007

क्र. एफ 23-41-2005-4-पच्चीस.—राज्य शासन द्वारा डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति सम्मान पुरस्कार नियम, 1997 में निहित प्रधान के अन्तर्गत गठित ज्यूरी द्वारा डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के जीवन दर्शन के आधार पर समाज के शोषित वर्ग के सामाजिक उत्थान तथा बदलाव के क्षेत्र में किये गये कार्यों के लिए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर स्मृति सम्मान पुरस्कार वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 के लिए क्रमश: निम्नानुसार चयन किया गया है:—

स. क्र.	वर्ष	पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)
1	2003-04	श्री मार्टिन माकवान, छोटूभाई, संचालक, नवसृजन ट्रस्ट, अहमदाबाद.
2	2004-05	श्री ईश्वर भाई पटेल, अहमदाबाद
3	2005-06	किसी भी व्यक्ति को उपयुक्त नहीं पाया गया है.

उपर्युक्त पुरस्कार के लिए प्रत्येक को सम्मान स्वरूप राशि रुपये "एक" लाख दी जावेगी. पुरस्कार संबंधी अन्य व्यवस्थाएं ऊपर वर्णित पुरस्कार नियम, 1997 के अन्तर्गत की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. मोहन्ती, अपर सचिव.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2007

क्र. एफ 13-3-05-सत्रह मेडि-2.—मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 47 सन् 1973) की धारा 6 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन अपील संबंधी समस्त कृत्यों का पालन करने के लिए सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को "अपीलीय प्राधिकारी" नियुक्त करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. उपाध्याय, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2007

क्र. एफ 13-3-05-सत्रह-मेडि-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 13-3-05-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 30 मार्च 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. उपाध्याय, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 30th March 2007

No. F. 13-3-2005-XVII-Med-2.—In exercise of the powers conferred by the clause (3) of Section 6 of Madhya Pradesh Upcharyagriha Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapnaye (Registrikarn Tatha Anugyapan) Adhiniyam, 1973 (No. 47 of 1973), The State Government, hereby appoints the Secretary, Department of Health & Family Welfare as "Appellate Authority", for the purpose of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. M. UPADHYAYA, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2007

क्र. एफ 13-3-05-सत्रह मेडि-2.—मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 47 सन् 1973) की धारा 2 की उपधारा (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-3-98-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 30 मार्च 2001 को निरस्त करते हुए, प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पर्यवेक्षी प्राधिकारी के समस्त कृत्यों का या उसके किसी भी कृत्य का पालन करने के लिए "पर्यवेक्षी प्राधिकारी" नियुक्त करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. उपाध्याय, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2007

क्र. एफ 13-3-05-सत्रह-मेडि-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 13-3-05-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 30 मार्च 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. उपाध्याय, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 30th March 2007

No. F. 13-3-2005-XVII-Med-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (k) of Section 2 of the Madhya Pradesh Upcharyagriha Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapnaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Adhiniyam, 1973 (No. 47 of 1973), The State Government, after cancelling the Notification No. F-8-3-98-XVII-Med-2, dated 30th March 2001 of Public Health & Family Welfare Department, here by, appoints